रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.) 72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 1978/फाल्गुन 9, 1899

No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1978/PHALGUNA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 14-ईटीसी/पीएन/78

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

विषय :—इमारती लकड़ी का निर्यात 1977-78

मिसिल सं० 6/19/76-ई-I:—उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 33-ईटीसी/पीएन/77 दिनांक 6-12-77 के संदर्भ में।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2(3) में दी गई चिरी हुई इमारती लकड़ी निम्नलिखित अनुसार उचित रूप से परिभाषित की जाए :—

"चिरी हुई इमारती लकड़ी का अर्थ है शहतीर, कड़ियां और कुन्दों में इमारती लकड़ी से बनाई गई अन्य साइज" **के स्थान पर**।	"चिरी हुई इमारती लकड़ी का अर्थ है गोलाई में या सज्जित दशाओं में इमारती लकड़ी (चाहे अच्छी हालत में बनाई हुई हो या नहीं) से चिरे हुए शहतीर, ब्लैंक्स, रीपर्स रैफ्टर्स, फ़ैन्स पोस्टस या पोल्स, स्लीपर्स या स्कैन्टलिंग्स, जिन्हें चीरने का तरीका कुछ भी हो जैसा कि इण्डियन स्टेन्डर्ड स्पेसिफ़िकेशन सं० 707-1976 में दिया गया है"

प्रतिस्थापित किया जाय।

3. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका (5) और (6) में आंशिक आशोधन करते हुए यह भी निश्चय किया गया है कि :—

(1) मूल स्थान का प्रमाण-पत्र पर राज्य या संघ शासित राज्य के मुख्य अरण्यपाल को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाण-पत्र पर वन विभाग के किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जो विशेष माल परेषण के लिए लागू संबंधित राज्य या केन्द्रीय अध्यादेश के अधीन ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए समर्थ हो. हस्ताक्षर ऐसे अधिकारी के कार्यालय की मोहर के साथ होने चाहिए। प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में होना चाहिए जो सरकार के नियमों और राज्य या संघ शासित राज्य (जारी करने वाले) की क्रियाविधि के अन्तर्गत सामान्य रूप से निर्धारित हो।

(2) मूल स्थान का प्रमाण-पत्र ऐसे मामलों में न मांगा जाए जिन में पार्टियों ने या तो खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा समर्थित और भारतीय बैंक द्वारा स्वीकृत पक्के सौदे कर लिये थे या पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि अर्थात् 6-12-77 से पहले पेशगी में पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिये थे। इन किस्मों की चिरी हुई इमारती लकड़ी के केवल उन आकारों और साइजों की अनुमति दी जाएगी जो मूल दस्तावेजों में विशिष्टिकृत हों। आवेदन-पत्र दस्तावेजों के साथ पत्तन लाइसेंस प्राधिकारियों को सीधे भेजे जा सकते हैं।

4. ऊपर यथा संशोधित पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित कुन्दों या चिरी हुई साइजों में इमारती लकड़ी से भिन्न इमारती लकड़ी

निर्यात व्यापार नियंत्रण के उद्देश्य के लिए "संसाधित" या "अर्ध-संसाधित" समझी जाएगी।

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE No. 14-ETC (PN)/78

New Delhi, the 28th February, 1978

SUBJECT :—Export of Timber 1977-78.

F. No. 6/19/76-E-I :—Reference Public Notice No. 33-ETC (PN)/77 dated 6-12-77 as amended from time to time on the above subject.

2. On a review of the situation, it has been decided to define properly sawn timber given in paragraph 2(iii) of aforesaid Public Notice, as under :—

For	Substitute
Sawn timber means beams scantlings and other sizes fashioned from timber in logs.	**Sawn timber** means beams' blanks, reepers, rafters, fence posts or poles, sleepers or scantlings, fashioned from timber (whether seasoned or not) in the round or dressed conditions, whatever be the manner of sawing as laid down in the Indian Standards specification No. 707-1976.

3. In partial modification of paragraphs (5) and (6) of aforesaid Public Notice, it has also since been deicded that :—

(i) Certificate of origin need not necessarily be signed by the Chief Conservator of Forest of the State or the Union Territory himself. It may be signed by any officer of the Forest department, competent to issue such a certificate under the relevant State or Central statute applicable to the particular consignment, along with the official seal of the such officer. The certificate should be in the form generally prescribed under Government rules and procedure of the (issuing) State or Union Territory;

(ii) Certificate of Origin may not be insisted upon in cases, where parties had entered into firm commitments backed by either irrevocable Letter of Credit opened and accepted by the Indian Banks or full payment received in advance before the date of issue of aforesaid Public Notice i.e. 6-12-77. Only those shapes and sizes of sawn timber of these varieties shall be allowed as may be specified in the original documents. Applications may be made direct to port licensing authorities with documents.

4. Timber other than those in log or sawn sizes mentioned in the aforesaid Public Notice as amended above will be treated as 'processed' or 'semi-processed' for the purpose of Exports Trade Control.

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978